

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी)

CSPDCL

याचिका क्र. 103 / 2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अंतिम टू-अप, वर्ष 2026-27 से वर्ष 2029-30 के नियंत्रण अवधि हेतु बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता एवं वर्ष 2026-27 हेतु खुदरा टैरिफ के निर्धारण हेतु दायर याचिका की सार संक्षेपिका

कार्यालय-कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.)

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,

चतुर्थतल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया,

रायपुर (छ.ग.) पिन- 492013

फोन नं. (0771) 2574441, ईमेल-cecomcseb@rediffmail.com

रु. 50/-

1 | पृष्ठ

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अंतिम टू-अप, वर्ष 2026-27 से वर्ष 2029-30 के नियंत्रण अवधि हेतु बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता एवं वर्ष 2026-27 हेतु खुदरा टैरिफ के निर्धारण हेतु दायर याचिका की सार संक्षेप

पृष्ठ भूमि :-

(अ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 सहपठित धारा 133 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कर्तव्य, सम्पत्ति एवं दायित्वों को उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों अर्थात् छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (छ. स्टे.पॉ.ज.कं.लि.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लि.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.ट्रेडि.कं.लि.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (छ.स्टे.पॉ.होल्ड.कं.लि.) को अंतरित करने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अन्तरण योजना नियम 2008 लागू किया गया जिसे कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम 2010 द्वारा अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित किया गया है।

उक्त अंतरण योजना जो कि 01 जनवरी 2009 से प्रभावशील है, के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एक वितरण अनुज्ञापिधारी है, जिसके आपूर्ति क्षेत्र में स्थित विद्युत उपभोक्ताओं की आपूर्ति हेतु विद्युत दरों का निर्धारण माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 तथा उसके अन्तर्गत प्रभावशील नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जाता है।

(ब) माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 98/2024 में जारी आदेश दिनांक 11.07.2025 द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए जारी टैरिफ अनुसूची में अधिसूचित विद्युत दरें दिनांक 01.07.2025 से प्रभावशील है, जो कि वर्तमान में लागू हैं।

(स) विद्युत अधिनियम, 2003 एवं माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को प्रति वर्ष अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता का आकलन कर माननीय आयोग के समक्ष टैरिफ निर्धारण याचिका प्रस्तुत करना प्रावधानित है। तदनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 एवं 86(1)(a) में निहित प्रावधानों एवं माननीय आयोग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तों) विनियम - 2021 सहित उसके संशोधन में विहित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अंतिम टू-अप, एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के

निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुपालन में नियंत्रण वर्ष 2026-27 से वर्ष 2029-30 हेतु बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता एवं वर्ष 2026-27 हेतु खुदरा टैरिफ के निर्धारण संबंधी याचिका माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है।

उक्त याचिका में याचिकाकर्ता (वितरण कंपनी) ने कार्यालयीन दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध जानकारी के आधार पर माननीय आयोग के विनियम के अनुपालन एवं दायित्वों के निर्वहन में अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं तथा उपलब्ध संसाधनों से निष्कपट चेष्टा की है। तथापि, यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी निर्धारण प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होती है, तो ऐसी स्थिति के याचिकाकर्ता को यह अतिरिक्त जानकारी दायर करने एवं तदनुसार याचिका संशोधित/पुनरीक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

विशेष टीप : (प्रस्तावित याचिका का हिन्दी रूपांतरण हितधारकों की सुलभता के लिये किया गया है, किसी भी विषय विशेष के भावार्थ तथा आकड़ों की सत्यता पर भ्रम की स्थिति में याचिका का मूल अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।)

1. वर्ष 2024-25 के लिये अंतिम टू-अप का विवरण :-

(i) वितरण हानि :

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, वितरण हानि को कम करने हेतु गंभीर एवं समर्पित है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत अधोसंरचना के विस्तार एवं सुधार के कारण वितरण हानि में उत्तरोत्तर कमी हो रही है।

विवरण	वर्ष-2024-25
माननीय नियामक आयोग द्वारा वितरण हानि हेतु निर्धारित लक्ष्य	15.00%
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि. द्वारा प्राप्त वितरण हानि	16.43%

(ii) वर्ष 2024-25 के लिये विद्युत की उपलब्धता एवं क्रय लागत का विवरण

(याचिका की तालिका क्रमांक -6)

स. क्र.	विवरण	01.06.2024 के टैरिफ आदेश के अनुसार			अंतिम टू-अप		
	स्रोतों का विवरण	मात्रा (मिलियन यूनिट)	राशि (रु. करोड़)	स्वीकृत दर (रु. प्रति केडब्ल्यूएच)	मात्रा (मिलियन यूनिट)	राशि (रु. करोड़)	दर (रु. प्रति केडब्ल्यूएच)
1	केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से	15,546.97	6,240.59	4.01	18,072.62	9,122.10	5.05
I	एनटीपीसी	14,301.96	5,735.09	4.01	16,262.58	8,259.74	5.08
II	एनटीपीसी-सेल (एनएसपीसीएल)	307.97	133.66	4.34	294.05	134.45	4.57

iii	एनपीसीआईएल	288.76	99.05	3.43	870.28	343.44	3.95
iv	हीराकुण्ड (ओएचपीसीएल)	648.28	272.80	4.21	16.44	3.28	2.00
v	एनएचपीसीएल				387.34	279.73	7.22
vi	एनईईपीसीओ				58.70	25.88	4.41
vii	बन्डल्ट थर्मल पॉवर				183.24	75.59	4.13
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के संयंत्रों से	18,120.18	6,209.46	3.43	17,693.72	6,781.47	9.83
i	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी- ताप	18,040.37	6,191.02	3.43	17,236.45	6,664.84	3.87
ii	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी- हाईड्रो	-	-	-	418.57	105.39	2.52
iii	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी- नवीकरणीय	79.81	18.44	2.31	38.70	11.24	2.91
3	अल्पकालिक क्रय	-	-	-	1,818.17	1,218.38	6.70
4	रियायती पॉवर - छस्टेपों ट्रेडिंग कलि द्वारा	2,395.56	688.16	2.87	3,060.12	710.24	2.32
5	अन्य- नवीकरणीय स्रोत	4,761.24	2,119.49	4.45	5,099.39	2,329.17	4.57
i	बायोमॉस	815.35	624.56	7.66	1,110.09	1,035.04	9.32
ii	हाईड्रल/अन्य आरई	662.70	489.87	7.39	477.68	350.86	7.35
iii	सोलर	1,773.69	580.62	3.27	2,694.59	711.02	2.64
iv	अन्य/नई आरई	1,509.50	424.44	2.81	817.04	232.25	2.84
6	अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज (यूआई)				488.37	190.53	3.90
7	पारेषण प्रभार		2,342.89			2,158.55	
i	अंतरराज्यीय पारेषण प्रभार		1,094.38			994.85	
ii	अंतः राज्यीय पारेषण प्रभार		1,226.30			1,154.14	
iii	राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभार		22.21			9.56	
8	सीमावर्ती गांव				1.85	2.02	10.94
9	बैंकिंग क्रय				1,186.45	-	
10	प्रतिक्रियाशील प्रभार					24.55	
11	सकल विद्युत क्रय लागत	40,823.95	17,600.58	4.31	47,420.68	22,537.02	4.75
12	समायोजन				5,105.18	1,552.53	3.04
i	सेल टू तेलंगाना						
ii	सेल ऑफ सरप्लस पॉवर				4,007.96	1,455.68	3.63
iii	यूआई विक्रय				469.63	80.43	1.71
iv	बैंकिंग सेल				627.59	-	-
v	आरआरएस सेटलमेंट					16.41	
13	शुद्ध विद्युत क्रय लागत	40,823.95	17,600.58	4.31	42,315.51	20,984.49	4.96

(iii) लेखापरीक्षित खातों के अनुसार टू अप किये जाने पर वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता का विवरण

(याचिका की तालिका क्रमांक -25)
(राशि रुपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024	अंतिम द्रू-अप
A	शुद्ध विद्युत क्रय लागत	17,600.58	22,537.02
B	संचारण एवं संधारण व्यय	2,564.55	2,596.45
1	शुद्ध कर्मचारी लागत	1,373.97	1,283.88
2	शुद्ध प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	96.09	92.95
3	शुद्ध मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	268.17	377.40
4	पेंशन और उपादान	826.32	826.31
5	स्मार्ट मीटर प्रभार	-	15.91
C	ब्याज एवं वित्तीय व्यय	277.63	486.95
1	ऋण पर ब्याज	134.67	253.64
2	कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर ब्याज	142.96	233.31
D	अन्य व्यय	706.16	897.71
1	अवमूल्यन	334.26	438.78
2	इक्विटी पर रिटर्न	371.90	458.93
E	दक्षता पर लाभ/(हानि)	-	-202.95
1	संचा./संघा. दक्षता साझा से प्राप्ति लाभ/(हानि)	-	-65.15
2	वितरण हानि दक्षता साझा से प्राप्ति लाभ/(हानि)	-	-137.80
F	असाधारण आईटम	-	658.32
1	चोरी, आग एवं गबन के कारण नुकसान	-	66.57
2	आर्बिट्रेशन आदेश के अनुसार रेल्वे के बिल का रिवर्सल	-	591.75
G	वर्ष 2022-23 के राजस्व कमी पर कैरिंग कॉस्ट का प्रभाव	-	143.37
H	कमी : गैर टैरिफ आय	185.43	418.22
1	गैर टैरिफ आय	-	111.58
2	व्हीलिंग चार्जस ओपन एक्सेस एण्ड क्रॉस सब्सिडी चार्ज, पीओसी	-	306.65
I	कमी : सरप्लस पॉवर की बिक्री से राजस्व	164.38	-
J	कुल राजस्व आवश्यकता	20,799.11	26,698.64

उपरोक्तानुसार, माननीय आयोग से 26,698.64 करोड़ रुपये की राजस्व आवश्यकता को स्वीकृत करने की प्रार्थना है।

(iv) वर्ष 2024-25 के लिये स्टैण्ड एलोन अंतराल/(आधिशेष) का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है

(याचिका की तालिका क्रमांक 27)
(राशि करोड़ में)

क्र.	विवरण	टैरिफ आदेश दिनांक 01.06.2024	अंतिम द्रू-अप
1	शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता	20,799.11	26,698.64
2	विद्युत के विक्रय से आय	21,775.25	24,999.74
3	स्टैण्डएलोन राजस्व अंतराल/(आधिशेष)	-976.14	1,698.90
4	CSPGCL के लिए वर्ष 2022-23 का अंतिम द्रू-अप का अग्रेनीत अंतराल/(आधिशेष)	24.28	-
5	CSPTCL के लिए वर्ष 2022-23 का अंतिम द्रू-अप का अग्रेनीत अंतराल/(आधिशेष)	-48.52	-
6	CSLDC के लिए वर्ष 2022-23 का अंतिम द्रू-अप का अग्रेनीत अंतराल/(आधिशेष)	-4.11	-

5 | पृष्ठ

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अंतिम द्रू-अप, वर्ष 2026-27 से वर्ष 2029-30 के नियंत्रण अवधि हेतु बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता एवं वर्ष 2026-27 हेतु खुदरा टैरिफ

7	CSPDCL के लिए वर्ष 2022-23 का अंतिम दू-अप का अग्रनीत अंतराल / (आधिशेष), CSPDCL द्वारा दायर वर्ष 2023-24 के टैरिफ आदेश पर पुनर्वाधिका के प्रभाव एवं कैरिंग कॉस्ट सहित	3,823.11	3,823.11
8	कुल अंतराल / (आधिशेष) कैरी फॉरवर्ड	3,794.76	3,823.11
9	संघर्षी राजस्व अंतराल / (आधिशेष)	2,818.62	5,522.01
10	कमी : राज्य शासन से वित्तीय सहायता	1,000.00	1,000.00
11	कुल संघर्षी राजस्व अंतराल / (आधिशेष)	1,818.62	4,522.01
12	व्याज दर (प्रतिशत)	-	11.12%
13	कैरिंग / (हॉल्डिंग) लागत	-	251.47
14	वर्ष के अंत में कुल क्लोजिंग राजस्व अंतराल / (आधिशेष)	-	4,773.48

उपरोक्तानुसार, वर्ष 2024-25 के लिये माननीय आयोग से रु. 4,522.01 करोड़ राजस्व कमी की राशि के अनुमोदन का अनुरोध है। यह अंतर वर्ष 2026-27 में कैरिंग कॉस्ट सहित रु. 4,773.48 करोड़ है जो कि याचिका के तालिका क्र. 25 में दर्शाया गया है।

2. वर्ष 2026-27 से वर्ष 2029-30 के नियंत्रण अवधि हेतु बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता का विवरण:-

(i) विद्युत क्रय की लागत एवं उपलब्धता

(याचिका की तालिका क्रमांक - 41)

स.क्र.	विवरण	वर्ष 2026-27 हेतु अनुमानित विद्युत क्रय		
		क्रय यूनिट (मि.यू.)	कुल लागत (रु. करोड़)	प्रति यूनिट दर (रु./यूनिट)
1	केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से	18,108.57	7,938.25	4.38
2	राज्य उत्पादन संयंत्रों से	17,993.82	7,493.30	4.16
3	रियायती पॉवर	3,060.12	692.06	2.26
4	नवीनीकरणीय स्रोत	7,132.61	2,529.64	3.55
5	बीईएसएस	173.74	69.50	4.00
	कुल विद्युत क्रय	46,468.85	18,722.74	4.03

स.क्र.	विवरण	वर्ष 2027-28 हेतु अनुमानित विद्युत क्रय		
		क्रय यूनिट (मि.यू.)	कुल लागत (रु. करोड़)	प्रति यूनिट दर (रु./यूनिट)
1	केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से	16,511.31	7,576.17	4.59
2	राज्य उत्पादन संयंत्रों से	18,047.83	7,940.99	4.40
3	रियायती पॉवर	2,417.90	491.19	2.03
4	नवीनीकरणीय स्रोत	11,355.16	3,853.00	3.39
	कुल विद्युत क्रय	48,332.19	19,861.34	4.11

स.क्र.	विवरण	वर्ष 2028-29 हेतु अनुमानित विद्युत क्रय		
		क्रय यूनिट (मि.यू.)	कुल लागत (रु. करोड़)	प्रति यूनिट दर (रु./यूनिट)
1	केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से	23,153.80	10,250.58	4.43
2	राज्य उत्पादन संयंत्रों से	13,373.42	7,211.32	5.39
3	रियायती पॉवर	2,041.18	394.32	1.93
4	नवीनीकरणीय स्रोत	12,694.17	4,373.14	3.44
	कुल विद्युत क्रय	51,262.56	22,229.35	4.34

स.क्र.	विवरण	वर्ष 2029-30 हेतु अनुमानित विद्युत क्रय		
		क्रय यूनिट (मि.यू.)	कुल लागत (रु. करोड)	प्रति यूनिट दर (रु./यूनिट)
1	केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से	27,923.14	12,300.00	4.40
2	राज्य उत्पादन संयंत्रों से	11,669.47	7,155.25	6.13
3	रियायती पॉवर	1,864.75	358.68	1.92
4	नवीनीकरणीय स्रोत	13,088.21	4,460.76	3.41
	कुल विद्युत क्रय	54,545.57	24,274.69	4.45

(ii) वितरण व्यवसाय के लिए सकल राजस्व आवश्यकता

(याचिका की तालिका क्रमांक 58)
(रुपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2026-27	वर्ष 2027-28	वर्ष 2028-29	वर्ष 2029-30
A	विद्युत क्रय व्यय	21,150.81	22,437.96	24,964.63	27,179.48
1	विद्युत क्रय लागत	18,722.74	19,861.34	22,229.35	24,274.69
2	अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	1,165.63	1,261.72	1,365.72	1,478.30
3	अन्तःराज्यीय पारेषण प्रभार	1,252.29	1,304.45	1,358.79	1,415.38
4	सीएसएलडीसी प्रभार	10.15	10.46	10.77	11.10
B	संचारण एवं संधारण व्यय	3,250.34	3,614.89	3,940.21	4,230.99
1	कुल कर्मचारी व्यय	1,274.46	1,337.60	1,403.87	1,473.43
2	कुल प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	137.68	144.55	151.77	159.34
3	कुल मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	451.88	474.68	498.64	523.81
4	पेंशन और ग्रेज्यूटी	864.04	955.33	1,158.24	1,324.35
5	स्मार्ट मीटर प्रभार	509.40	688.02	710.91	730.91
6	अनुज्ञापित शुल्क एवं लोकपाल प्रभार	12.88	14.70	16.78	19.15
C	ब्याज एवं वित्तीय व्यय	429.50	518.27	587.62	632.33
1	ऋण पर ब्याज	283.81	365.29	419.00	449.89
2	कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर ब्याज	145.68	152.99	168.62	182.43
D	अन्य व्यय	1,116.15	1,259.58	1,381.35	1,488.65
1	अवमूल्यन	465.75	542.87	608.15	665.10
2	इक्विटी से रिटर्न	519.32	585.63	642.12	692.48
3	अशोध्य ऋणों के प्रावधान	131.08	131.08	131.08	131.08
E	कमी: गैर-टैरिफ आय	486.49	524.69	565.89	610.33
1	कुल गैर-टैरिफ आय	486.49	524.69	565.89	610.33
G	सकल राजस्व आवश्यकता	25,460.30	27,306.02	30,307.93	32,921.13

(iii) वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (स्टैण्डएलोन) एवं सकल कमी का विवरण :-

(याचिका की तालिका क्रमांक - 64)
(रुपये करोड़ में)

स.क्र.	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
1	वर्ष 2026-27 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान	25,460.30
2	प्रचलित दरों एवं प्रभारों के आधार पर अनुमानित राजस्व	26,216.22
3	वर्ष 2026-27 के लिये स्टैण्ड एलोन राजस्व अंतराल/(आधिशेष) (2-1)	(755.92)

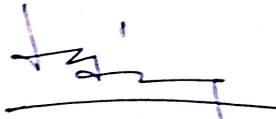
4	वर्ष 2024-25 का Forward की गई कैरिंग कॉस्ट सहित कुल Closing राजस्व अंतराल / (आधिशेष)	4,773.48
5	वर्ष 2025-26 के लिए कैरिंग कॉस्ट	530.91
6	वर्ष 2026-27 के लिए कैरिंग कॉस्ट	294.98
7	वर्ष 2026-27 के लिये कुल Closing राजस्व अंतराल / (आधिशेष) (4+5+6)	5,599.37
8	टैरिफ आदेश वर्ष 2025-26 में असम्मिलित कैरिंग कॉस्ट	1,158.35
9	अपील क्र. 286 / 2017 में माननीय APTEL के आदेश के अनुसार दावा	161.03
10	माननीय APTEL द्वारा नोशनल इन्कम के मामले में रिमांडेड बैंक एवं CSPDCL के पक्ष में सशर्त फैसले से संबंधित राशि	145.41
11	वर्ष 2026-27 हेतु समायोजित सकल राजस्व आवश्यकता (1+7+8+9+10)	32,524.46
12	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट)	38,728.79
13	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए समायोजित औसत विद्युत प्रदाय दर (रु./यूनिट)	8.40
14	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सकल राजस्व अंतर	6,308.24

3. वर्ष 2026-27 के लिए अन्य प्रस्ताव

- CSPDCL ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ आदेश में वर्तमान में अनुमोदित किए गए लोड फैक्टर रिबेट अनुसार, एचव्ही-4: स्टील उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं को दिए जा रहे 25% लोड फैक्टर रिबेट को घटाकर 10% करने का अनुरोध किया है।
- CSPDCL ने एचव्ही-4: स्टील उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे (ToD) टैरिफ को सौर घंटों (09:00 बजे से 17:00 बजे तक) के दौरान वर्तमान सामान्य अवधि के टैरिफ को 80% से घटाकर 70% करने और साथ ही उच्चतम मांग अवधि (17:00 बजे से 23:00 बजे तक) के दौरान टैरिफ को 120% से बढ़ाकर 125% करने का अनुरोध किया है।
- CSPDCL ने लोड फैक्टर रिबेट की गणना के लिए 132 केवी और 220 केवी सिस्टम से जुड़े एचव्ही-4: स्टील उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जा रही 30 घंटे की 'पॉवर ऑफ आवर्स' को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया है।
- CSPDCL ने ट्रांसमिशन प्रभार के भुगतान के पुराने प्रावधान के अनुसार, दीर्घ/मध्यम अवधि के ओपन एक्सेस सोलर प्रोस्यूमर्स के लिए निर्धारित 33% ट्रांसमिशन प्रभार को 100% करने का अनुरोध किया है।
- CSPDCL ने पूर्व टैरिफ आदेश अनुसार, एचव्ही-2: खदान टैरिफ श्रेणी में खदान सह स्टोन क्रशर एवं सिर्फ स्टोन क्रशर, दोनों को सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।
- CSPDCL ने पूर्व टैरिफ आदेश अनुसार, बस्तर और दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में स्टील उद्योगों को ऊर्जा प्रभार में वर्तमान में दी जा रही 10% की रिबेट को घटाकर 5% रिबेट करने का भी अनुरोध किया है।
- CSPDCL ने एचवी-4 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी कम लोड फैक्टर टैरिफ का लाभ उठाने हेतु CSPDCL से 100% आपूर्ति अनिवार्य करने का अनुरोध किया है, जैसा कि एचवी-3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू है।

- (viii) CSPDCL ने स्टार्टअप पॉवर टैरिफ श्रेणी के लिए सह-स्थित औद्योगिक इकाइयों वाले उत्पादन संयंत्रों की संविदा मांग के लिए स्पष्ट प्रावधान करने का अनुरोध किया है।
- (ix) CSPDCL ने अग्रिम भुगतान पर छूट को पिछले टैरिफ आदेश में दी गई 1.25% प्रति माह से घटाकर 0.5% प्रति माह करने का अनुरोध किया है।
- (x) CSPDCL ने एचवी-3 और एचवी-4 श्रेणी में लोड फैक्टर के आधार पर स्थायी प्रभार के प्रावधान पर पुनर्विचार करने और श्रेणी विशेष के सभी उपभोक्ताओं के लिए खपत के निरपेक्ष, समान स्थायी प्रभार निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ता



कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.)
छ.स्ते.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर